

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**

**संख्या - 438/2025**

मंजूर @ मंजूर अहमद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुश्री आरती शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 23**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2025 के अनुसार, विपक्षी संख्या-2 पर नोटिस की व्यक्तिगत रूप से तामीली हो चुकी है। हालांकि, विपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट/मु0 अपराध संख्या 299/2024, अंतर्गत धारा 3/5-क/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11, थाना बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है।
4. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

- "1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. विपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करें।
3. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 299 /2024, अंतर्गत धारा 3/5-क/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11, थाना बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर के संबंध में दाखिल किया गया है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, घटना 19.11.2024 को घटित होना बताई गई है जब दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा आवेदक और सह-आरोपी को एक गाय का वध करने की प्रक्रिया में पकड़ने का कथन किया गया है।
5. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि प्राथमिकी की अंतर्वस्तु के अनुसार भी,

पुलिस टीम द्वारा कथित तौर पर केवल एक पेड़ से बंधी जीवित गाय बरामद की गई थी, जिसके वध के लिए तैयार किए जाने का कोई संकेत नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक से भी कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास को विधिवत रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस कथन के साथ जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि आवेदक अन्वेषण में सहयोग नहीं कर रहा है जिसके कारण उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत, प्रथम दृष्टया विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य के अधीन, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को केवल एक पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। आवेदक से गोमांस की कोई बरामदगी होती प्रतीत नहीं होती है। इंगित की गई एकमात्र बरामदगी पेड़ से बंधी एक जीवित गाय की है। आवेदक अन्वेषण में सहयोग करने का वचन देता है जो अभी भी जारी है।

8. वाद के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरांत, यह न्यायालय इसे अंतरिम अग्रिम जमानत का एक उपयुक्त वाद पाता है।

9. सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 के वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में, आरोपी-आवेदक मंजूर को अंतरिम उपाय के रूप में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक को प्रदान की जा रही अग्रिम जमानत के संबंध में भविष्य की

आकस्मिकताओं का भी सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

10. गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक को उपरोक्त अपराध संख्या में तत्काल संबंधित गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी/थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) यह कि आरोपी-आवेदक अन्वेषण में सहयोग करेगा और वह साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा। आरोपी-आवेदक तब उपस्थित रहेगा जब भी संबंधित गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी/थानाध्यक्ष अन्वेषण/पूछताछ के लिए बुलाएगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(ii) चूक की स्थिति में, अन्वेषण अभिकरण के लिए इस अंतरिम संरक्षण को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प खुला रहेगा।

11. इस वाद को 06.06.2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध करें।

12. इस बीच आपतियां दाखिल की जा सकती हैं।

13. आवेदक को दिनांक 20.05.2025 को अपराह्न 02:00 बजे अन्वेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

14. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक अन्वेषण के दौरान आवेदक के सहयोग के संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे।"

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात् आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर

दिया गया है। उसने अन्वेषण में विधिवत रूप से सहयोग किया है। वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

7. वाद के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना तथा आरोप की प्रकृति और साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, आवेदक ने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और साथ ही आवेदक द्वारा विचारण में सहयोग करने का जो वचन दिया गया है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय के **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98** के वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में पूर्ण किया जाता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 15.05.2025 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



मार्च 19, 2026

आनंद/-

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।